राजस्व लोक अदालत केम्प खन्नौड़ा तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 59/2018

अपीलाण्टगण	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. लोकेश कुमार पुत्र तिलाराम जाति मेघवाल निवासी खन्नौड़ा		1. तिजो देवी पत्नी तिलाराम 2. टेलाराम पुत्र तिलाराम 3. छगनलाल पुत्र तिलाराम जाति मेघवाल निवासी, खन्नौड़ा 4. सरपंच ग्राम पंचायत खन्नौड़ा

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत खन्नौड़ा</u>

आदेश

निर्णय दिनांकः—19.06.2017

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मौजा खन्नौड़ा में अपीलांट के पिता टिलाराम पुत्र मदरूपाराम के नाम की सयुक्त खातेदारी भूमि आई हुई जिसमें टिलाराम की मृत्यु होने पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण संख्या 192 की कार्यवाही की गई जिसमें अपीलांट का नाम लोकेश कुमार की बजाय लूणाराम गलत दर्ज किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया अपीलांट एवं रेस्पोड़ेट के बयान कलमबंद किए गये। मजमें आप पूछताछ, पटवारी हल्का खन्नौड़ा, निरीक्षक बडनावा की रिपोर्ट एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कक्षा 10 की अंकतालिका के अनुसार अपीलांट का सही नाम लोकेश कुमार पुत्र तिलाराम अतः नामान्तरण संख्या 192 में लूणाराम पुत्र तिलाराम का इन्द्राज गलत हुआ है। अतः अपील स्वीकार योग्य हैं।

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम खन्नौड़ा के नामान्तरण संख्या 192 अपास्त किया जाता है। लूणाराम पुत्र तिलाराम की बजाय लोकेश कुमार पुत्र तिलाराम राजस्व रेकर्ड में दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को राजस्व रेकर्ड दुरस्त करने के आदेश जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत 2018 न्याय आपके द्वारा खन्नौड़ा खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)

(सहायक कलेक्टर

(एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी [illegible] कैम्प-2018

[illegible]

[illegible] खनौड़ा

Scanned by CamScanner